## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2000

G.S.R. 473(E).— In exercise of the power conferred by section 24 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules. 1980, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Passport (Amendment) Rules, 2000.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In Schedule IV to the Passport Rules, 1980.
- (a) for serial number 29 to 32 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

1	•	**************************************	3	4	
UÚ	t of turn (Tatkaal) Passport		00000000000000000000000000000000000000		
29.	Issue of fresh out of turn (Tatkaal)Passports within ten days of the date of application.		1500/- plus passport plicable	Rs. 3750/- plus the passport fee as applicable	
30.	Issue of fresh out of turn (Tatkaal) Passports between eleven to thirty five days of the date of application.	the	1000/- plus passport as applicable	*	
31.	Issue of duplicate out of turn (Tatkaal) Passport within ten days of the date of application in lieu of an ordinary	the pas	applicable	No fee in addition to the duplicate passport fee as applicable	

passport where it has been stolen, damaged. destroyed or for any other such reasons

32. Issue of duplicate out of turn (Tatkaal) Passport between 11 to 35 days of the date of application in lieu of an ordinary passport where it has been stolen, damaged. destroyed or for any other such reasons.

Rs. 1500/- plus the duplicate passport fee as applicable

No fee in addition to the duplicate passport fee as applicable

33 In all re-issue cases after expiry of ten/twenty years' validity, where passport is to be re-issued out of turn (Tatkaal) within ten days of the date of application

Rs. 1500/- plus the passport plus the fee as applicable passport fee

Rs. 3750/-as applicable

34. in all re-issue cases after expiry of ten/twenty years' validity, where passport is to be re-issued out of turn (Tatkaal) between 11 to 35 days of the date of application

Rs. 1000/- plus the passport fee as applicable No additional fee

35. In all cases of additional booklet to be issued out of turn (Tatkaal) within ten days of the date of application

Rs. 1500/- plus the passport fee as applicable

No additional fee

(b) for the note, the following note shall be substituted namely:-

"Note: Only passport fee as applicable would be payable for grant of an out-of-turn Tatkaal passport covered under serial Nos. 29,30,31 32,33,34 and 35 in the following cases, namely :-

(i) The applicant has been advised to go abroad for specialised medical treatment and consultation.

- (ii) The attendant (one only) who would need to accompany the applicant referred to at (i) above.
- (iii)in case of death abroad of spouse, father, mother, child, child's spouse, grand child, brother or his spouse, and sister or her spouse. of the applicant" and
- in the case of a student applicant requiring a passport for appearing in the examination for admission to some foreign educational institution, or for going abroad for studies, provided his/her parents'/guardians' income is less than Rs.2000/- per month."
- (V) all diplomatic/official passport holders who apply for an ordinary passport in lieu of their diplomatic/official passport.

[E. No. VI/401/38/98] S. R. TAYAL, Jt. Secy. (CPV)

Note.—Principal rules published vide Notification No. GSR 657 (E) dated December 11, 1980 (1980 external) Part II Section 3, sub-section (I), subsequently amended by :-

- 1. Notification No. GSR 50 (E) dated 7.02.1980
- 2. Notification No. GSR 469 (E) dated 24.06.1982
- 3. Notification No. GSR 325 (E) dated 12.04.1983
- 4. Notification No. GSR 494 (E) dated 16,06.1983
- 5. Notification No. GSR 345 (E) dated 29.03.1985
- 6. Notification No. GSR 860 (E) dated 1.11.1985
- 7. Notification No. GSR 1155(E) dated 21.11.1988
- 8. Notification No. GSR 100 (E) dated 4.03.1991 9. Notification No. GSR 503 (E) dated 10.07.1993
- 10. Notification No. GSR 622 (E) dated 27.06.1990
- 11. Notification No. GSR 605 (E) dated 5.10.1998
- 12. Notification No. GSR 516 (E) dated 8.07.1999 13. Notification No. GSR 827 (E) dated 29.12.1999
- 14. Notification No. GSR 34 (E) dated 12.01.2000

## अधिसूचना महं दिल्ली, 22 मई, 2000

सा.का.नि. 473(अ).— पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 का 15) के खण्ड-24 में शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पासपोर्ट नियमावली 1980 में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथाः

- (I) ये नियम पासपोर्ट (संशोधित ) नियम, 2000 कहलाएंगे ।
  - (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे
- 2. पासपोर्ट नियमावली 1980 की अनुसूची IV में
- (क) क्र.सं. 29 से 32 के स्थान पर उससे संबंधित निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाए गड़ा-

******************************			THE CANADA SECTION AND AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROP
(1)	(2)	(3)	. (4)
			AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF

## बिना बारी के (तत्काल) पासपोर्ट

- 29. आवेदन की तारीख से 10 दिन के भीतर नया बिना बारी के (तत्काल) नया पासपोर्ट जारी करना
- 30. आवेदन की तारीख से ग्यारह से तीस दिनों के भीतर बिना बारी के (तत्काल) नया पासपोर्ट जारी करना
- 31. ऐसे किसी साधारण पासपोर्ट, जो चोरी हो गया हो, खराब हो गया है, नष्ट हो गया हो अथवा कोई ऐसा अन्य कारण हो, के स्थान पर आवेदन की तारीख से दस दिन के भीतर बिना बारी के (तत्काल) दूसरा पासपोर्ट जारी करना

1500/- रूपए जमा यथा लागू पासपोर्ट शुल्क

1000/- रूपए जमा यथा लागू पासपोर्ट शुल्क

2500/- रूपए यथा लागू दूसरा पासपोर्ट बनवाने का शुल्क 3750/ऱ्लपए जमा यथा लागू पासपोर्ट शुल्क

2250/- रूपए जमा यथा लागू पासपोर्ट शुल्क

यथा लागू दूसरा पासपोर्ट बनवाने के शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क नहीं 1500/- रूपए प्रमा शासू यूनरा प्रमावीर्ट बनदाने का शुल्क यथा तागू दूसरा पासपोर्ट बनवाने के शुक्क के कोई अन्य शुक्क नहीं।

33. दस वर्ष/बीस वर्ष की वैधता अवाचे समाप्त होने के पश्चात पुनः पासपोर्ट जारी करने वाल ऐसे सभी मामलों में जहाँ पासपोर्ट आवदेन की तारीख से दस दिनों के भीतर बिना बारी के (तत्काल) जारी किया जाना हो । 1500/- रूपए जमा यथा लागू पासवोर्ट शुल्क

3750/- रूपए जमा लागू पासपोर्ट शुल्क

34. दस वर्ष/बीस वर्ष की वैद्यता अवधि समाप्त होने के पश्चात पुनः पासपोर्ट जारी करने वाले सभी मामलों में जहाँ पासपोर्ट आवेदन जमा करने की तारीख से ग्यारह से पेंतीस दिनों के भीतर जारी किया जाना हो । 1000/- ज्यए जमा यथा लागू पासपोर्ट शुक्क कोई अतिरिक्त सुरकं नहीं

35. अतिरिक्त पुस्तिका जारी करने के लंबंधी सभी मामलों में आवेदन जमा करने की तारीख से दस दिनों के भीतर बिना बारी के (तत्काल) पासपोर्ट पुस्तिका जारी करना ।

\*

1500/- रूपए जमा यथा लागू पासपोर्ट शुल्क

कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

- (ख) टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :" टिप्पणी :- निम्नलिखित मामलों में क्रम सं. 29,30,31,32,33,34, और 35 के अन्तर्गत
  शामिल बिना बारी के (तत्काल) पासपोर्ट प्रदान करने के लिए यथा लागू केवल
  पासपोर्ट शुंलक देय होगा यथा:-
  - (i) आवेदक को विशिष्ट चिकित्सा तथा परामर्श के लिए विदेश जाने की सलाह दी गई हो ।
  - (ii) परिचर (केवल एक) जो उमर (I) में वर्णित आवेदक के साथ जाएगा ।

- (iii) आवेदक के पित/पत्नी/पिता, माता, बच्चे, बच्चे की पत्नी/पित, पौज, पौत्री, भाई अथवा उसकी पत्नी, बहन अथवा उसके पित की विदेश में मृत्यु हो जाने के मामले में । और
- (iv) छात्र आवेदक के मामले में, जिसे किसी विदेशी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए परीक्षा देने के लिए अथवा अध्ययन हेतु विदेश जाने के लिए पासपोर्ट अपेक्षित हो, बशर्ते उसके माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय 2000/-रूपए से कम हो ।
- (v) सभी राजनयिक /आधिकारिक पासपोर्ट घारकों के लिए जो अपने राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट के स्थान पर साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन करते हैं।

[फा. सं. V]/401/38/98] एम. आर. तायल, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

टिष्पणी.— मूल नियमावली अधिसूचना सं, जी एस आर 657 (ई) दिनांक 11 दिसम्बर 1980 (1980 विदेश) भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (I) के अन्तर्गत प्रकाशित तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित :-

- 1. अधिसूचना सं. जी एस आर 50 (ई) दिनांक 7.2.80
- 2. अधिसूचना सं. जी एस आर 469 (ई) दिनांक 24.6.82
- 3. अधिसूचना सं. जी एस आर 325 (ई) दिनांक 12.4.83
- 4. अधिसूचना सं. जी एस आर 494 (ई) दिनांक 16.6.83
- 5. अधिसूचना सं. जी एस आर 345 (ई) दिनांक 29.3.85
- 6. अधिसूचना सं. जी एस आर 860 (ई) दिनांक 1.11.85
- अधि यं जी एस आर 1155 (ई) दिनांक 21.11.88
- अधिसूचनः । एस आर 100 (ई) दिनांक 4.3.91
- 9. अधिसूचना सं. जा एस आर 503 (ई) दिनांक 10.7.93
- 10. अधिसूचना सं. जी रूस आर 6:2 (ई) दिनांक 27.6.90
- 11. अधिसूचना सं. जी एसं आर 605 (ई) दिनांक 5.10.98
- 12. अधिसूचना सं. जी एस आर 516 (ई) दिनांक 8.7.99
- 13. अधिसूचना सं. जी एस आर 827 (ई) दिनांक 29.12.99
- 14. अधिसूचना सं. जी एस आर 34 (ई) दिनांक 12.1.2000